न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

रेनू मीणा आर.ए.एस.

पीठासीन अधिकारी का नाम—

मुकदमा नम्बर 25 / 2017

बद्रीप्रसाद पुत्र निवास जाति ब्राहम्ण उम्र 84 वर्ष निवासी ग्राम कारंगा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर ..... प्रार्थी

बनाम

1. रिछपाल पुत्र नारायणाराम जाति जाट निवासी ग्राम बिराणियां तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।
2. तहसीलदार फतेहपुर।
3. पटवारी हल्का ग्राम कारंगा बड़ा।
4. सहायक भू प्रबंध अधिकारी फतेहपुर।

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता

श्री राजकुमार शर्मा — प्रार्थी
श्री महिपाल मूण्ड — अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः— 16.03.2018

आज यह प्रार्थना पत्र वास्ते निर्णय पेश हुआ। प्रार्थी की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र क संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सेटलमेन्ट विभाग ने प्रार्थी के खेत में से एक नया रास्त प्रार्थी को सुने बिना राजस्व रिकार्ड में निकाल दिया है। उक्त रास्ता गलत रुप से काय किया गया रास्ता आप तक मौके पर कभी भी अस्तित्व में नहीं रहा तथा ना कभी उक्त कायम किये गये रास्ते पर प्रार्थी के खेत में आवागमन रहा इस कारण रास्ता अवैध रुप कायम किया गया है। नया रास्ता गलत रुप से प्रार्थी के खेत में कायम करने की जानक पिछले को माह पूर्व दिनांक 07.09.2017 को हुई। सेटलमेंट विभाग ने प्रार्थी के खेत में से नया रास्ता प्रार्थी को सुने बिना राजस्व रिकार्ड में निकाल दिया तथा उसका अंकन रा

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर) राज.

कार्ड में किया जो गलत एवं विधि विरुद्ध है इस कारण उक्त प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 70 /71 में बनाये गए रास्ता उत्तर दक्षिण को निरस्त उद्घोषित किया जाना आवश्यक है।

इस पर वकील प्रतिवादी ने जरिये जवाब दावा अवगत करवाया कि उक्त रास्ता ग्राम बिरानियां से निकलकर ग्राम कारंगा बड़ा से ग्राम सुलखनिया जाने वाले रास्ते को क्रोस करते हुए ग्राम दांतरु में अवस्थित फतेहपुर सालासर रोड़ तक हमेशा से आता जाता रहा है उक्त रास्ता सैकड़ो काश्तकारों की कृषि भूमियों में से आता जाता है बन्दोवस्त विभाग द्वारा उक्त रास्ता विधिक तरीके से नियमानुसार व मौके पर मौजूद होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकित किया है। बन्दोवस्त विभाग द्वारा नवीनी प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया है बन्दोबस्त विभाग द्वारा कोई नया रास्ता कायम नहीं किया गया है। उक्त रास्ता ग्राम बिरानियां से ग्राम दांतरु में अवस्थित फतेहपुर सालासर रोड़ तक हमेशा से आता जाता रहा है। इसलिए प्रार्थी को कोई क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता उक्त रास्ता मौके पर हमेशा से मौजूद होने व राजस्व रिकार्ड को अंकित होने के कारण प्रार्थी अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाने का अधिकार नहीं है।

वादी / प्रतिवादी गण के वकीलों की बहस सुनी गई और मनन किया गया व पाया कि उक्त रास्ता अकेले प्रार्थी की कृषि भूमियों में से न जाकर सैकड़ो काश्तकारों की कृषि भूमियों से आता जाता है व राजस्व रिकार्ड में अंकित है प्रार्थी द्वारा अन्य खातेदार जिनके खेत में से उक्त रास्ता आता जाता है। उनको पक्षकार नहीं बनाया है जो कि आवश्यक था। उक्त रास्ता लगभग 6 किमी है जिसको प्रार्थी के खेत में बंद कर देने से पूरा रास्ता बंद हो जायेगा व सैकड़ो काश्तकार व ग्रामीण जन परेशान हो जायेगे। तहसीलदार फतेहपुर द्वारा दिनांक 07.11.2017 को एन.टी के नेतृत्व की टीम गठित कर उक्त रास्ता खुलवाने के आदेश किए जिस पर टीम द्वारा 15.11.2017 को उक्त रास्ता खुलवाया गया। अतः वादीगण का यह कथन सर्वथा झूठा है कि "उक्त रास्ता मौके पर कभी अस्तित्व ही नही रखता" उक्त रास्ते के लिए अन्य काश्तकारों द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है अतः वादी का ~~वाद~~ प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन व संभावना में न होने के कारण खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 16.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)